उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8

संख्या–415 / आठ–8–2023–02विविध / 2023

लखनऊः दिनॉकः 29 मार्च, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–53 में वर्णित छूट सम्बन्धी प्राविधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विवरण के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल प्रस्तर–2 में वर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1.1 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–28 / 2021 / आई / 98702 / 2021 / 71–4099 / 1045 / 2021–4 दिनांक 17.09.2021 द्वारा जारी निजी मेडिकल कालेज (असेवित जनपद) स्कीम–2022 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) के आधार पर उत्तर प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कालेजों के विकास की योजना हेतु निजी क्षेत्र की इकाईयों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता विषयक नीति के अधीन मॉडल–1 के मोड 'ए', 'बी' एवं 'सी' के अन्तर्गत निजी मेडिकल कालेज स्थापित करने हेतु भूमि परिवर्तन में 100 प्रतिशत छूट देय होगी।

1.2 उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स नीति–2018 के अनुक्रम में अधिसूचना संख्या–I/19813/2020-8-3099/91/2019 दिनांक 17.02.2020 द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने के प्राविधान किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स नीति–2022 अधिसूचना संख्या–49 / 2022 / 3243 / 77–6–2022–4(एम) / 2022 दिनांक 28.12.2022 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में 75 प्रतिशत छूट दिये जाने के प्राविधान किये गये हैं। अतः उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक नीति, 2022 से आच्छादित निम्नलिखित सुविधाओं / इकाईयों को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट होगी :–

(क) न्यूनतम 01 लाख वर्गफीट क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रू0 20 करोड़ के पूंजी निवेश वाली वेयर हाउसिंग (गोदाम सहित)

(ख) न्यूनतम 04 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रू0 30 करोड़ के पूंजी निवेश वाली साइलोज (Silos)

(ग) न्यूनतम 20000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रू0 15 करोड़ के पूंजी निवेश वाली कोल्ड चेन फेसिलिटीज,

(घ) ड्राई प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत न्यूनतम 10 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रू0 50 करोड़ के निवेश वाले इनलैण्ड कन्टेनर डिपो / कन्टेनर फ्रेट स्टेशन्स / एयर फ्रेट स्टेशन्स,

क्रमशः............

Adhiyouchna-2023-B.Sir

(च) न्यूनतम 25 एकड़ क्षेत्रफल पर लॉजिस्टिक्स पार्क्स,

(छ) नेशनल हाईवे/एक्सप्रेसवे/स्टेट हाइवे/प्रामिनेन्ट फ्रेट रूट्स के दोनों ओर 02 किमी0 की दूरी तक न्यूनतम 10 एकड़ क्षेत्रफल के ट्रकर्स पार्क।

2– उक्त छूटें सम्बन्धित विभाग/नोडल संस्था द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट/पंजीकृत/अनुमोदन प्राप्त इकाईयों हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन देय होगी:–

2.1 इकाई का संचालन आगामी पांच वर्षो तक किए जाने की बाध्यता होगी।

2.2 इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जाएगी।

2.3 उपरोक्त नीतियों के अधीन सभी अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियां सम्बन्धित इकाईयों द्वारा स्वयं प्राप्त की जाएगी और सम्बन्धित विभाग के निर्देशों/नीति का अनुपालन किया जाएगा। उक्त प्राविधान के उल्लंघन की दशा में सभी प्रोत्साहन एवं छूट निरस्त कर दिए जाएंगे।

2.4 इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहां पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या–415(1)/आठ–8–2023–02विविध/2023–तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना संख्या–415/आठ–8–2023–02विविध/2023 दिनांक 29.03.2023 को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराते हुए 5–5 प्रति समस्त संबंधित को तथा 100 प्रतियां आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

क्रमशः............

संख्या–415(2)/आठ–8–2023–02विविध/2023–तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव